

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प.2(21)नविवि/11/2000

जयपुर, दिनांक: - 1 JUL 2019

आज्ञा

राजस्थान नगर नियोजन सेवा के सहायक अभियन्ताओं की दिनांक 01.04.2019 की स्थिति में अस्थाई (प्रोविजनल) वरिष्ठता सूची एतद्वारा निम्नानुसार प्रसारित की जाती है:-

क्र.सं	अधिकारी का नाम	चयन का माध्यम एवं विवरण		विशेष विवरण
		पदोन्नति वर्ष	रिक्ति तिथि	
1.	श्री चैतन्य कुमार गौतम	2007-08	01.08.07	से.नि.तिथि 31.08.19
2.	श्री गुरुदत्त शर्मा	2008-09	01.04.08	से.नि.तिथि 31.08.19
3.	श्री अशोक कुमार भित्तल	2009-10	01.04.09	से.नि.तिथि 31.01.20
4.	श्री फूला राम	2010-11	31.03.11	-
5.	श्री रमेश नारायण माथुर	2010-11	31.03.11	-
6.	श्री रणवीर सिंह	2010-11	31.03.11	से.नि.तिथि 31.05.19
7.	श्री तरसेम कुमार	2010-11	31.03.11	से.नि.तिथि 31.03.20
8.	श्री दिलीप कुमार पूनिया	2010-11	31.03.11	से.नि.तिथि 31.08.19
9.	श्री महेन्द्र प्रताप सुथार	2010-11	31.03.11	से.नि.तिथि 30.06.19
10.	श्री ओम प्रकाश शर्मा	2010-11	31.03.11	-
11.	श्री टीला राम (अ.जा.)	2010-11	31.03.11	-
12.	श्री सीताराम गुप्ता	2010-11	31.03.11	-

जिन अधिकारियों को इस सूची में नियत किये गये स्थान से असंतोष/आपत्ति हो तो वे अपना लिखित अभ्यावेदन मय प्रमाणित दस्तावेजों के अस्थाई (प्रोविजनल) वरिष्ठता सूची जारी किये जाने की तिथि से 10 दिवस में इस विभाग को आवश्यक रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि में यदि कोई आपत्ति विभाग को प्राप्त नहीं होती है तो उक्त अस्थाई वरिष्ठता सूची को अन्तिम वरिष्ठता सूची माना जावेगा। यह नगरीय विकास विभाग की Website:www.udh.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।

आज्ञा से,



(मगन लाल योगी)

संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त वरिष्ठता सूची नगर नियोजन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
5. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को प्रेषित कर लेख है कि इसे नगरीय विकास विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
6. संबंधित अधिकारी द्वारा मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय